परिषद की वर्ष 1979 की चतुर्थ बैठक

दिनांक 12-9-79

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में दिनांक 12-9-79 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1979 की चतुर्थ बैठक की कार्यवृत्त।

श्री बी०जे०ओदाबजी		अध्यक्ष
श्री दयानन्द व्यास	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
श्री त्रिभुवन नारायन सिंह	एडवोकेट	सदस्य
श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
श्री एन०सी०बाजपेई	उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।	सदस्य
श्री .नेश मोहन	निदेशक, सी०बी०आर०आई० रुड़की।	सदस्य
श्री कमल पाण्डे	आवास आयुक्त	सदस्य

विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
2	3	4
7-79 को हुई ...र्यवृत्त की पुष्टि	IV/(1)/79	परिषद की दिनांक 17-7-79 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
बैठक दिनांक ... कार्यवृत्त की ...य	IV/(2)/79	परिषद द्वारा दिनांक 17-7-79 की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:- 1- केवल पिछली बैठक के ही नहीं अपितु पूर्व की बैठकों के भी सभी अनिस्तारित निर्णयों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत की जाये। 2- राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में स्थित भूखण्ड को मुक्त करने सम्बन्धी श्रीमती मालती सिंह के प्रार्थना-पत्र पर गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुये यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन को बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जाय। 3- 16-ए०पी०सेन रोड, लखनऊ स्थित भूमि एवं भवन को क्रय करने के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय।

क०प०उ०

2	3	4

उपस्थिति

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

कार्य

1

(1) दिनांक 17-
बैठक के का

(2) परिषद की
17-7-79 के
अनुपालन आ

4- प्रत्येक ऐसे नगर के लिये जहाँ पंजीकरण हो चुका है आवासीय योजनाओं हेतु भूमि का चयन करने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही अब तक की गयी है उसका संक्षिप्त विवरण। अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

5- भूमि अध्यापन की प्रगति को बढ़ाने के लिये राजस्व विभाग/राजस्व परिषद के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें भूमि अध्याप्ति के वर्तमान संगठन एवं कार्य-प्रणाली की समीक्षा करते हुये बढ़ी हुई योजनाओं के कार्य को ध्यान में रखते हुये अध्यापन के विकेन्द्रीकरण और उसके शीघ्र सम्पादन हेतु निर्णय लिया जाय। उक्त बैठक की समीक्षा परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

6- भवनों के साथ-साथ भूखण्ड के विकास के लक्ष्य परिषद के समक्ष अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किये जायं।

7- हरदोई नगर के साथ अन्य नगरों में भी नवम्बर माह से पंजीकरण प्रारम्भ किया जाय।

8- दुर्बल आय वर्ग के भवनों के लिये नजूल की भूमि आसान दरों पर परिषद को उपलब्ध कराने के लिये शासन को लिखा जाय।

9- हरदोई नगर में आवासीय योजनाओं हेतु नजूल की भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रगति की सूचना परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

10- बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अन्तिम निर्णय हेतु परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

11- माल एवेन्यू योजना के अन्तर्गत परिषद द्वारा निर्मित उच्च आय वर्ग के भवनों के आवंटन पर शासन द्वारा पारित स्थगन आदेश को शीघ्र समाप्त कराया जाय तथा सचिव, सार्वजनिक निर्माण राज्य सम्पत्ति अनुभाग से मिलकर शासनादेश जारी कराने का प्रयत्न किया जाय।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			12- राम सागर मिश्र नगर, लखनऊ के सेक्टर-2 में दुकानों के निर्माण सम्बन्धी प्रगति की सूचना परिषद की आगामी बैठक में दी जाय।
			13- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के आरक्षण के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो को पुनः अनुस्मारक भेजा जाय।
			14- सेकेण्ड हडको कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम नं0-7 मेरठ हेतु गारण्टी प्राप्त करने के लिये शासन को पुनः अनुस्मारक भेजा जाय। 11-गारण्टी के मामलों में विलम्ब न हो इस दृष्टि से प्रस्ताव प्रत्येक सदस्य को बाई रोटेशन भेज कर अनुमोदित करा लिया जाय।
			15- साइट एण्ड सर्विस ट्रान्स यमुना एरिया आगरा में कब्जा लेने तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यवाही शीघ्र समाप्त कर ली जाय।
			16- परिषद में एक अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)की नियुक्ति के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुनः स्मरण पत्र भेजा जाय।
			17- परिषद की योजना क्षेत्र में पड़ने वाले बागों एवं योजनाओं के अन्तर्गत रहने वाले पुराने निवासियों को बिजली, पानी एवं जलोत्सारण की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में जो निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये गये हैं उनके अनुपालन की प्रगति की सूचना परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।
			18- कार्य निदेशक देखें कि आवंटित सीमेन्ट का कोटा लैप्स न हो जाये। उन्हें युद्ध स्तर पर सीमेन्ट उपलब्ध कराने के लिये अधिशासी अभियन्ता के स्तर के एक अधिकारी को इस कार्य में लगा देना चाहिये और आवश्यकतानुसार वे उच्च स्तरों पर भी सीमेन्ट प्राप्त करने के लिये पहल करें।

क्र0प0उ0

1		3	4
			19- जिन योजनाओं में भू-उपयोग के मामले विचाराधीन हैं उनकी सङ्ख्या दी जाये। ऐसे कितने मामले हैं उनकी सङ्ख्या एवं प्रगति आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय। 20- ईंटों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कोयले के प्रबन्ध के लिये डिपार्टमेन्ट आफ कोल, मिनिस्ट्री आफ इनर्जी से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय एवं आवास मंत्री जी से भी केन्द्रीय अधिकारियों एवं मंत्री महोदय के लिये पत्र लिखकर कोयला प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। 21- भवनों केनिर्माण हेतु स्टील तथा लकड़ी प्राप्त करने के लिये योजना बनाते समय 30-6-80 तक के आंकड़े एकत्र किये जाय। 22- दिनांक 30-9-79 तक की भौतिक प्रगति (लक्ष्य एवं पूर्ति)के आंकड़े, अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायं। 23- अलीगढ़ में दूकानों की मांग को देखते हुये भूमि प्राप्त करने के लिये जिला अधिकारी, अलीगढ़ व स्थानीय विधायकों से भूमि प्राप्त करने के लिये सहायता ली जाय।
(3) 3-गोखले मार्ग गृहस्थान योजना, लखनऊ।	IV/(3)/79		परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से विचारोपरान्त स्वीकार किया गया किन्तु धारा-32 के अन्तर्गत विज्ञापन की कार्यवाही करने के पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करने के निर्देश दिये गये:- 1- नगर भूमि सीमा आरोपण अनु अनुभाग लखनऊ से ज्ञात किया जाये कि सम्बन्धित भूस्वामी की धारा-20 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र पर शासन ने क्या निर्णय लिया है। 2- नगर भूमि सीमा आरोपण अनुभाग से यह भूमि नियमानुसार परिषद को हस्तान्तरित करने के लिये निवेदन किया जाय। 3- यदि आवश्यक हो तो स्वायत्त शासन के माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही की जाय।
(4) करैली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद में स्थित श्री मिठाई लाल, इलाहाबाद के भवन के सबंन्ध में।	IV/(4)/79		परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

1	2	3	4
(5)	परिषद की बस्तौली-गाजीपुर (राम सागर मिश्र नगर) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ में समाविष्ट श्रीमती मालती सिंह की भूमि ग्राम गाजीपुर के खसरा नं0-494, 498 तथा 499 (कुल क्षेत्रफल 1 बीघा 13 बिस्वा) को योजना से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में।	IV/(5)/79	परिषद ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी जाय।
(6)	ऋषिकेश में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 एवं 2 के सम्बन्ध में।	IV/(6)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये:- 1- देहरादून रोड पर योजना सं0-2, को छोड़ दिया जाय और उसे डिनोटिफाइड कर दिया जाये। 2- योजना सं0-1 में से लगभग 40 एकड़ भूमि सड़क के किनारे अध्याप्ति की जाये। इस सम्बन्ध में दोबारा सर्वे कर प्रस्ताव मंगा कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।
(7)	लो कास्ट हाउसिंग हडको कम्पटीशन प्रोजेक्ट-1979 के अन्तर्गत राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-4 में कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण।	IV/(7)/79	इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया तथा यह निर्देश दिया कि कम्युनिटी सेन्टर के सम्बन्ध में नीति निर्धारण के लिये एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।
(8)	पैसार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बाराबंकी की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	IV/(8)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद के अधिनियम 1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करते हुये निम्नांकित निर्देश दिये:- 1- योजना के आगणन बनाते समय भाव वृद्धि को देखते हुये दरें पुनर्निर्धारित की जाय। 2- बाराबंकी की प्रथम स्कीम को छोड़ा न जाय। 3- खातेदारों की सही संख्या का परीक्षण किया जाय।
(9)	परिषद मुख्यालय पर प्रोजेक्ट मानीटरिंग कोष्ठ की स्थापना।	IV/(9)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की। मानीटरिंग तथा मूल्यांकन कोष्ठ से सम्बन्धित एक पुनरीक्षित नोट परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। यह नोट ओ0एण्ड एम0कमेटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जायगा।

(हस्ताक्षर)

कृ0प0उ0

1	2	3	4
(10)	परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सेवकों/ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निगमों के कर्मचारियों का परिषद की सेवा में संविलयन।	IV/(10)/79	इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
(11)	''उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सहायक वास्तुविद् नियोजक सेवा विनियमावली-1979	IV/(11)/79	इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया तथा निम्नांकित निर्देश दिये:- 1- सेवा विनियमों की कार्यवाही यथाशीघ्र समाप्त की जाय। इस सम्बन्ध में विशेष कार्याधिकारी का एक पद सृजित किया जाये जो समस्त नियमावली इत्यादि एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर लें। 2- सेवा विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव भी शीघ्र प्रस्तुत किये जायें।
(12)	मुख्यालय पर रिकार्ड कीपर-कम-लाइब्रेरियन के पद का सृजन।	IV/(12)/79	इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
(13)	लो कास्ट हाउसिंग कम्पटीशन स्कीम, राम सागर मिश्र नगर लखनऊ।	IV/(13)/79	इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
(14)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 (खसरा प्लाट नं0-74) रामपुर की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	IV/(14)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
(15)	बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 बाराबंकी।	IV/(15)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्थगित करते हुये यह निर्देश दिये कि इस प्रस्ताव को पंजीकरण खुलने के बाद प्रस्तुत किया जाये।
(16)	हटन हाल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 जिला-नैनीताल की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	IV/(16)/79	इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद के अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करते हुये निम्नांकित निर्देश दिये:- 1- इस योजना में दुर्बल आय वर्ग के लिये अधिक भवन बनाये जायें। 2- गढ़वाल मण्डल के लिये भी इसी प्रकार की आवासीय योजनायें गठित की जाय। 3- इस प्रकार की योजनायें प्लान बजट और हडको के अन्तर्गत प्रस्तावित की जाय। और 4- भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर इस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाय।

ह0प0उ0

1	2	3	4
(17)	भुमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, हल्दुवानी (जिला-नैनीताल) की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	IV/(17)/79	परिषदने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद के अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यबाही करने की अनुमति प्रदान की।
(18)	कमलानगर योजना आगरा के सेक्टर-12 में 12 उच्च आय वर्ग के तिमंजिले भवनों का निर्माण।	IV/(18)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(19)	बाढ़ग्रस्त शहरों में भवन निर्माण हेतु प्राप्त शासन ऋण 1.63 करोड़ रु0 में से 2950 दुर्बल आय वर्ग एवं 240 अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण की स्वीकृति।	IV/(19)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(20)	शोध एवं विकास सेल की स्थापना।	IV/(20)/79	इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्थगित करते हुये यह निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को ओ0एण्ड एम0 कमेटी के माध्यम से परिषद को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
(21)	निर्माण कार्य की समीक्षा।	IV/(21)/79	परिषद ने अनुभव किया कि भुमि अध्याप्ति की प्रगति मन्द है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आंकड़े प्रत्येक धारा के अन्तर्गत कार्यबाही का विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। जिन भवनगरों में पंजीकरण अधिक है वहां भुमि अध्याप्ति की कार्यबाही उच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाये। भुमि अध्याप्ति की प्रगति कार्यान्बयन उप-समिति नियमित रुप से देखें। भुमि अध्याप्ति के लिये विशेष व्यवस्था के प्रश्न पर भी विचार किया जाये और इस सम्भावना का विधि विभाग से पता लगाया जाये कि धारा-28 के विज्ञप्ति के साथ धारा-17 लेण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यबाही हो सकती है अथवा नहीं। यदि आवश्यक हो तो परिषद अधिनियम-1965 में परिवर्तन कराया जाय। 2- जुलाई, 1979 तक 1118 एकड़ भुमि के विकास कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया जाय। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाय। 3- वित्तीय संसाधन और निर्माण कार्यों का सम्पूर्ण विश्लेशण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। 4- भवन निर्माण का 75% कार्य समाप्त हो जाने पर कास्टिंग की कार्यबाही की जाय तथा ब्रोशर ठीक कर लिया जाये जिससे सम्पत्ति का आबंटन तुरन्त किया जा सके। 5- अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ताओं की अलग बैठक कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाय। 6- लक्ष्य पुन: निर्धारित किये जाय।

कृ0प0उ0

1	2	
		7- दुर्बल आय वर्ग के भवन बनाने हेतु शीर्ष प्राथमिकता दी जाये तदुपरान्त अल्प आय वर्ग श्रेणी के मकानों को प्राथमिकता के काम में सम्मिलित किया जाये। अगली बैठक में एप्राइज़ल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। 8- ईंटों के उपलब्ध करने के लिये श्री डी०सी०नौटियाल, प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर सालिड ब्लाक्स तथा हालो ब्लाक्स के प्रयोग के सम्बन्ध में सी०बी०आर०आई० के निदेशक, प्रो० दिनेश मोहन से वार्ता करें और ईंटों के स्थान पर इन ब्लाकों के उपयोग की सम्भावना का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें। सीमेन्ट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। शासन से सीमेन्ट का जो आबंटन प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयास किया जाये। तब भी यदि सीमेन्ट न मिलती हो तो उसके स्थान पर सब्स्टीच्यूट मैटेरियल का प्रयोग किया जाये।
(22) राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-2 व 7 में 16वें शासन ऋण (79-80) में जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण के अन्तर्गत प्रस्तावित 78 एल०आई०जी०भवनों के सम्बन्ध में।	IV/(22)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(23) राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-7 में 15वें शासन ऋण (79-80) के अन्तर्गत प्रस्तावित 64 एल०आई०जी०भवनों के सम्बन्ध में।	IV/(23)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(24) राम सागर मिश्र नगर योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों तथा निर्माणाधीन भवनों के मल निष्काशन सीवेज ड्रेनेज योजना हेतु परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये धारा 31 के अधीन प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	IV/(24)/79	परिषद ने इस प्रस्ताव को परिषद की अधिनियम-1965 की धारा 31 (1) के अधीन स्वीकार किया।
(25) परिषद की राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के सैक्टर-4 में नये परिषद व्यवसायिक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 12 दुकानों का निर्माण।	IV/(25)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
(26) परिषद की राम तीर्थ हिल्टन लेन योजना लखनऊ में आफिस काम्पलेक्स का निर्माण।	IV/(26)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि समय-समय पर इस योजना की मानिटरिंग हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की जाती है:- 1- आवास आयुक्त।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			2- श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक। 3- प्रो०दिनेश मोहन, निदेशक, सी०बी०आर०आई०, रुड़की। समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों से परिषद को अवगत कराया जायेगा।
(27)	मदन मोहन मालवीय मार्ग आवास योजना लखनऊ की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	IV/(27)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की।
(28)	बीरबल साहनी मार्ग बहुखण्डी आवास योजना, लखनऊ।	IV/(28)/79	परिषद ने सर्वसम्मति इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की।
(29)	अध्यक्ष की अनुमति से विचारणीय विषय।	IV/(29)/79	परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जो खण्ड/ भवन अभी तक लाटरी ड्रा में सम्मिलित नहीं हुये हैं अथवा जो नये बने हैं या जो किसी अन्य कारण से छूट गये हैं उन सभी को आगामी लाटरी ड्रा में सम्मिलित कर लिया जाय। 2- परिषद ने सर्वसम्मति से आवास आयुक्त को शासकीय नियमानुसार निष्प्रयोज्य घोषित पुराने वाहन के स्थान पर नवीन वाहन क्रय करने के लिये अधिकृत किया।

—

पुष्टि की गई

(signature) 10/12/79

अध्यक्ष

10.12.79